

आदेश

दिनांक १८-१०-२०२२

प्रार्थी/ अभियुक्त भगवानदास, वसंत की ओर से मु०अ०सं०-४९७/२२, राज्य बनाम भगवानदास आदि, धारा-३२३, ५०४, ५०६ भा०दं०सं०, थाना-सहसवान, जनपद बदायूँ में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण की जमानत पर विरोध किया गया है। धारा-५०६ भा०दं०सं० क अतिरिक्त अपराध जमानतीय प्रकृति के है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

अतः अभियुक्तगण भगवानदास, वसंत का जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त उपरोक्त प्रत्येक द्वारा अंकन रुपये २५,०००/-का व्यक्तिगतबन्ध पत्र एवं समान राशि के दो जमानती दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(प्रवीन कुमार गौतम)

J.O.CODE. UP3284

न्यायिक मजि०

सहसवान, जनपद बदायूँ।